

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

—:आदेश:—

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक— प.19(5)शिक्षा-2/2016 जयपुर दिनांक 20.09.16 द्वारा न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में चयनित निम्नांकित कार्मिकों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 144-क के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति किये जाने की प्रदत्त अनुमति के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को प्रतिनियुक्त स्थान हेतु कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति पदनाम	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1.	श्री शंभुदयाल मीणा	राउमावि, श्यामपुरा बांदीकुई (दोसा)	प्रधानाचार्य	राजकीय आवासीय विद्यालय, हिंगी, (कोटा)
2.	श्री रामलाल	राउमावि, बलुपुरा, पाली	प्रधानाचार्य	राउमावि, केनपुरा (पाली)

(बी०एस०स्वीकार)

आ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

दिनांक: 28.09.2016

क्रमांक:शिविरा/मा/संस्था/बी-4/राईस/2015/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राज० जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राज्य सरकार के पूर्व आदेश क्रमांक— प.19(6)शिक्षा-2/2016 जयपुर दिनांक 02.08.16 के क्रम में विभागीय आदेश शिविरा/माध्य/संस्था/बी-4/रमसा/2010/वो-11 दिनांक 08.08.16 द्वारा श्रीमती कल्पना रार्मा राउमावि माण्डलगढ (भीलवाडा)की प्रतिनियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रति संलग्न है।
- 2- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
- 3- संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा/पाली
- 4- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, दोसा/कोटा/पाली
- 5- प्रभारी, प्रभाग- बी-1/बी-11
- 6- संबंधित संस्थाप्रधान।
- 7- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।